पत्रांकः—15 / एम 1—169 / 2013 —1134

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

पटना, दिनांकः— 16/6/15

विषयः— महात्मा बुद्ध हिरामण कालेज पतुआना, नालन्दा का संबंधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक—345 / G III A दिनांक—18.08.2012 के द्वारा महात्मा बुद्ध हिरामण कालेज, पतुआना, नालन्दा को कला एवं वाणिज्य संकाय के कतिपय विषयों में संबंधन प्रदान करने के निमित प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा समीक्षोपरान्त पत्रांक—604 दिनांक—21.03.2014 से अस्वीकृति संसूचित किया गया था।

पुनः समीक्षा के क्रम में उक्त महाविद्यालय द्वारा सुरक्षित कोष में विश्वविद्यालय में जमा की गयी राशि एवं संबंधन कब तक दिया जाना है से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अतः राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक—1098 दिनांक—19.04.86 के द्वारा निर्गत परिनियम एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 21 (2) (d) में अंकित प्रावधानों में विहित तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप उक्त वर्णित तथ्यों से संबंधित प्रतिवेदन एक माह के अन्दर उपलब्ध करायी जाय ताकि मामले में अग्रेत्तर निर्णय लिया जा सके।

विश्वासभाजन,

ह0/- 16/6/15

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

राजेश